



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-13052026-272498
CG-RJ-E-13052026-272498

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2303]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2303]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर-पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 12 मई, 2026

का.आ. 2395(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 10 फरवरी 2026में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना का.आ.688 (अ)द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर में लालगढ़ – बीकानेर पूर्व दोहरीकरण परियोजना (11.085 कि.मी.) की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20अ की उप-धारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् 'राजस्थान पत्रिका' व 'दैनिक भास्कर' में तारीख 20 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया गया था:

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस परियोजना में तय समय में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है;

और, उक्त अधिनियम की धारा सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (20) ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंप दी है;

यह और की, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लिंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में लालगढ़ – बीकानेर पूर्व दोहरीकरण परियोजना (11.085 कि.मी.) कीविशेष रेल परियोजना हेतु (बीकानेर उपखण्ड के लिए) अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला- बीकानेर

क्र.सं.	उपखंड/ तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वे/ खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टेयर	आवासि की जाने वाली भूमि (क्षेत्रफल (हेक्टेयर))	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	बीकानेर	बीकानेर	672/445	नगर निगम बीकानेर	गै. मु. आबादी	90.00	0.217	नगर निगम बीकानेर
2			415	नगर निगम बीकानेर	गै. मु.आबादी	15.19	0.059	नगर निगम बीकानेर
3			416	नगर निगम बीकानेर	गै. मु.आबादी	0.35	0.099	नगर निगम बीकानेर
4			417	नगर निगम बीकानेर	गै. मु. सड़क	1.6	0.022	नगर निगम बीकानेर
5			608/393	नगर विकास न्यास बीकानेर (UIT)	गै. मु. बंजर	4.68	0.088	नगर विकास न्यास बीकानेर (UIT)
कुल आवास की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल =							0.485	

[फा. सं. ऊपरे/मुख्यालय/एस एंड सी/443599200 भाग-25]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 12th May, 2026

S.O. 2395(E).—Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 688 E dated 10 February 2026 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub section (ii) (hereinafter referred to as the said notification), under sub section (i) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Special Railway Project, namely, Doubling between Lalgah and Bikaner East (11.085 km) of Bikaner Division of North Western Railway in District Bikaner the state of Rajasthan.

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Rajasthan Patrika” and “Danik Bhaskar” dated 20 February, 2026 under sub-section (4) of section 20A of the said act;

And, whereas, objections received within the stipulated time period were resolved by the Competent Authority and accordingly.

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project, namely, Doubling between Lalgarh and Bikaner East (11.085 km) (For Bikaner Sub Division) in the state of Rajasthan.

District: - Bikaner								
Sl. No.	Name of the Division/Tehsil	Name of the Village	Survey/Khasra No.	Type of Land	Nature of land	Total Area (In Hect.)	Area to be acquired (In Hect.)	Names of Land owners / interested Person
1	Bikaner	Bikaner	672/445	Nagar Nigam Bikaner	Gai. Mu. Abadi	90.00	0.217	Nagar Nigam Bikaner
2			415	Nagar Nigam Bikaner	Gai. Mu. Abadi	15.19	0.059	Nagar Nigam Bikaner
3			416	Nagar Nigam Bikaner	Gai. Mu. Abadi	0.35	0.099	Nagar Nigam Bikaner
4			417	Nagar Nigam Bikaner	Gai. Mu. Sadak	1.6	0.022	Nagar Nigam Bikaner
5			608/393	Nagar Vikas Nyas Bikaner (UIT)	Gai. Mu. Banjar	4.68	0.088	Nagar Vikas Nyas Bikaner (UIT)
Total Area to be Acquired =							0.485	

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXV]
VIVEK SAXENA, Chief Admin. Officer (Con.)